

ग्राम पंचायत नाल्टी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक

1 प्रस्तावना :-

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नाल्टी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुरक्षा कुमारी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री ज्योति प्रकाश	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति बेबी रानी	01.04.13 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत नाल्टी के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.28
2	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	8.83
3	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक	1.53

		स्टोर का क्रय करना	
4	पैरा-9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	-
5	पैरा-11	खाता ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना	-

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नाल्टी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 08.06.16 से 14.06.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	03/2014	12/2013
2014-15	03/2015	11/2014
2015-16	06/2015	04/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत नाल्टी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से

3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7000/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 136 दिनांक 14.0 6.16 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत नाल्टी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत नाल्टी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	75646	51686	127332	60586	66746
2014-15	66746	35823	102569	52333	50236
2015-16	50236	47950	98186	55529	42657

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत नाल्टी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	366051	1870088	2236139	1498851	737288
2014-15	737288	1527908	2265196	1489748.50	775447.50
2015-16	775447.50	1213865	1989312.50	1106798	882514.50

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 42657/-

दिनांक 31.03.16 को बैंक खाते में शेष : ₹ 42357/-

(PNB 15442)

हस्तगत राशि : ₹ 300/-

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 882514.50/-

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 882514.50/-

बैंक खाता संख्या	राशि
Indira aavas Yojna PNB 52608	0
General Fund 46306	139134.50
Rajeev Avas Yojna KCCB 52617	1026
MNREGA 49301	0
13 TH FC PNB 44803	742354
कुल राशि	882514.50

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत नाल्टी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹ 27550/- का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹27550/- की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	0	22450	22450	22150	300
2014-15	300	11800	12100	12050	50
2015-16	50	12225	12275	12225	50

2. जांच में पाया कि रसीद संख्या 355601 से 355700 तक गृह कर के रूप में ₹2550/- की वसूली की गई थी लेकिन पंचायत के खाते में केवल ₹2500/- (रोकड़ वही पृष्ठ 17) ही जमा किए गए थे। इस प्रकार ₹50/-पंचायत के खाते में कम जमा किए गए थे जिसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

3. दुकानों से किराया : जांच में पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा दो दुकानें ₹350/- प्रति माह प्रति दुकान की दर से किराये पर आबंटित की गई थी लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इसकी वसूली हेतु न तो मांग जारी की थी और न ही दुकानों के किराये के रख-रखाब हेतु कोई रिकॉर्ड तैयार किया गया था, जिनके अभाव में किराए की बकाया राशि का पता चल पाना मुश्किल था। अतः अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया कि दिनांक 31.03.16 तक ग्राम पंचायत की दो दुकानों संख्या 1 व 3 का किराया ₹9450/- वसूली हेतु बकाया था। अतः निम्न वर्णित किराये की वसूली के साथ-2 भविष्य में किराये का पूरा रख-रखाब एक रजिस्टर में रखना सुनिश्चित करें।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	3500	8400	11900	9800	2100
2014-15	2100	8400	10500	4200	6300
2015-16	6300	8400	14700	5250	9450

4 जांच में पाया कि भारत संचार निगम लि. कंपनी (BSNL) का मोबाइल टावर वर्ष 2009 में पंचायत क्षेत्र में स्थापित किया गया था लेकिन उक्त कंपनी से मोबाइल टावर की स्थापना फीस एवं नवीनीकरण फीस प्राप्त नहीं की गई थी। अतः अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 137 दिनांक 14.06.16 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके सन्दर्भ में

पत्र संख्या 5-16 दिनांक 14.06.16 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त मोबाइल टावर की स्थापना एवं नवीनीकरण फीस की वसूली नहीं की जा रही है। अतः टावर की स्थापना फीस ₹4000/- एवं नवीनीकरण फीस ₹14000/- (अवधि 2009-10 से 2015-16 तक ₹2000/- प्रति वर्ष) की वसूली हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाकर ₹18000/- की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान ₹8.83 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹882515/- उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹500000/- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न-विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही

किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

क्र.सं	अवधि	कार्य का नाम
		General Cash Book
1	2014-15	नि. शिवा युवक मण्डल
2		नि. महिला मण्डल डकोहल

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 1.53/-लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) एवं 67 (5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट- 2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹153001/- के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं अर्थात् निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया , जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने , जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। चयनित माहों के व्यय वाउचरों की

जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था , जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/ अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना ।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
5. दुकानों के किराये का रजिस्टर
6. मोबाइल टावर की फीस का रजिस्टर

11 खाता ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता-ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई के मास में खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था। लेकिन जांच में पाया कि नियमानुसार खाता-ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को खाता-क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित नहीं किया गया था जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार ब्याज की राशि को

खाता-क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(6) 5/2016-खण्ड-1-4710-4713 दिनांक 02.09.2016

शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत नाल्टी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

हस्ता/-
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.